रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1982 (माघ 17, 1903)
No. 6] NEW DELHI SATURDAY, FEBRUARY 6, 1982 (MAGHA 17, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that if may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	125
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	143
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	145
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	269
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें	435
भाग II—खण्ड 3(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरण (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	75
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	29
भाग III—खण्ड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	1409
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें और नोटिस	43
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	--
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनायें (जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटस शामिल हैं	641
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	35
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. 125

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) 143

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 3

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 145

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. *

PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. *

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. *

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 269

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 435

PART II—SECTION 3 (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) 75

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 29

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1409

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 43

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 641

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 35

PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 दिसम्बर 1981

विषय :—स्व-रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर संवर्धन समिति की सदस्यता।

सं. एम.-12038/1/81-एल. ई. एम.-ई. पी.—योजना आयोग के दि. 8 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या एम.-12038/1/81-एल. ई. एम.-ई. पी. और दि. 22 अप्रैल, 1981, 12 जून, 1981 और 31 अगस्त, 1981 की इसी संख्या की अधिसूचनाओं के क्रम में, समिति के गठन में निम्नलिखित जोड़ दिए जाएं/संशोधन कर दिए जाएं, अर्थात् :

(1) क्रम संख्या 21 के बाद, निम्नलिखित को क्रम संख्या 22 के रूप में जोड़ दिया जाए :—

"श्रीमती सुशीला रोहतगी,

अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,

जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001"

(2) समिति के सदस्य-सचिव श्री ए. वी. आर. चार से संबंधित क्रम संख्या "22" को बदल कर क्रम संख्या "23" कर दिया जाए।

आर. एस. सक्सेना
निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1982

सं. यू./13019/6/81-ए. एन. एल.—इस मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित 29 जून, 1975 की अधिसूचना सं. 71/56(2)(1)57-ए. एन. एल. के अनुसरण में, राष्ट्रपति लक्षद्वीप के प्रशासक के संबद्ध सलाहकार परिषद का 31-3-82 तक की अवधि के लिए निम्नवत पुनर्गठन करते हैं :—

पदेन सदस्य

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य।

गैर सरकारी सदस्य

(1) श्री सरचेत्ता किदावु, अमीनी

(2) श्री बी. जी. अली मनीकफान, मिनीकाय

(3) श्री के. दोम मनीकफान, मिनीकाय

(4) श्री अलीयथारा अलालुद्दीन कोया, अंड्रोथ

(5) श्रीमती असस्वेत्ता मैमूनाथ, कदमत

(6) श्री पी. शेक कोया, अमीनी

(7) श्री पी. पी. नान्जा कोया, कालपेनी

(8) श्री एदियाकल सीथी कोया, किलटन

(9) श्री चक्काकल मुथुकोया, चेतलत

(10) श्री बी. अब्दुल कादर, चेतलत

(11) श्री बी. सैयद बुहारी, बित्रा

सं. यू./13019/6/81-ए. एन. एल.—इस मंत्रालय के, समय-समय पर यथा संशोधित, 12 जनवरी, 1968 की अधिसूचना सं. 1/1(2)/67 ए. एन. एल.(1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति का 31-3-82 तक की अवधि के लिए निम्नवत पुनर्गठन करते हैं :—

पदेन सदस्य

(1) प्रशासक, लक्षद्वीप

(2) संघराज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य

गैर सरकारी सदस्य

(1) श्री यू. सी. के. थंगल, कावारत्ती

(2) श्री मेलपुरा चेरियाकोया, कावारत्ती

(3) श्री के. नालाकोया थंगल, अंड्रोथ

(4) श्री थूपियाक्कल कोया, अमीनी

(5) श्री हसन गंदुवर हसन मनिकफान, मिनीकाय

(6) श्री चेरियापुरा कासमी, अगाती

(7) डा. के. के. मोहम्मद कोया, कालपेनी

(8) श्री बी. अमानुल्ला, किलटन

श्री चेरियापुरा सहकारिता समितियों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे।

आर. सी. ए. जैन, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 1982

संकल्प

सं० ई-12015/2/79-हिन्दी--वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिये एक योजना प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

1. वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मानक मूल पुस्तकों के लिए दो वर्ष में एक बार 5000रु० व 2500 रु० का एक-एक नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

2. इस योजना का उद्देश्य वाणिज्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारत के लेखकों को प्रोत्साहित करना है।

3. केवल उच्च स्तर की मूल पुस्तकों पर ही, चाहे वे हस्तलिपि में हों अथवा प्रकाशित रूप में, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

4. वाणिज्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं के चयन और इस प्रकार के चयन को शासित करने वाले नियम बनाने का अनन्य अधिकार होगा।

5. पुरस्कार योजना में भारतीय लेखक भाग ले सकते है जिनमें बहु-लेखकों वाली पुस्तकों के वे सम्पादक भी शामिल हैं जिन्होंने स्वयं भी उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप में अंशदान दिया हो और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो। प्रकाशित पुस्तकों और लेखक द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हस्तलिपियों दोनों को ही स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि ये मूल रूप में लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन न होता हो।

6. लेखकों का मूल्यांकन पुरस्कार वाले वर्षों के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों/हस्तलिपियों के रूप में उनके द्वारा किए गये मूल लेखन के आधार पर किया जाएगा।

7. पुरस्कार प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सर्वोत्तम पुस्तकों/हस्तलिपियों के चयन के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी।

8. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करने के लिए अंग्रेजी व हिन्दी के प्रमुख समाचारपत्रों में एक नोटिस देकर लेखकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय अपनी ओर से किसी भी पुस्तक को पुरस्कार देने के बारे में विचारार्थ शामिल कर सकता है।

9. लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन-पत्र तथा पुस्तक अथवा हस्तलिपिया छः प्रतियों में सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को भेजें। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तकों/हस्तलिपियों की प्रतियां लेखकों को लौटाई नहीं जायेंगी।

10. यदि इस पुरस्कार योजना में शामिल किसी मूल पुस्तक को किसी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका हो तो लेखक को सचिव वाणिज्य मंत्रालय को, भेजे जाने वाले अपने पत्र में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप में कर देना चाहिए।

11. कोई भी लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता है। तथापि, कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में योजना के अन्तगत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नही होगा।

12. यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/हस्तलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को साथी लेखकों में बराबर वितरित किया जाएगा।

13 यदि कोई भी पुस्तक/हस्तलिपि पुरस्कार/पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नही पाई जाती तो पुरस्कार/पुरस्कारों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रोक लिया जाएगा।

14. पुरस्कार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह अथवा किसी अन्य उपयुक्त अवसर पर प्रदान किये जायेंगे।

15. सचिव, वाणिज्य मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करने से काफी समय पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार के लिए उनके चुने जाने के बारे में सूचना देंगे।

सामान्य :

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा उसका कापीराइट समाप्त नहीं होगा।

2. पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार के लिये विचार नही किया जाएगा।

3. यदि कोई प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इन किन्ही भी सरकारों से सहायता प्राप्त कर, रहे किसी भी संस्थान अथवा संगठन से सहायता लिये बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने के बाद ही किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघक्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जोगिन्दर सिंह, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर, 1981

संकल्प

सं० एस० एम० आई० (1)-17(1)/78--उद्योग मंत्रालय में दिनांक 25 जून, 1981 के संकल्प सं० एस० एस० आई० (1)-17(1)/78 जो लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में था क्रम सं० 77 से 80 के सामने निम्नलिखित सदस्यों के नाम समाविष्ट किए जाएं :--

77. श्री अजीत कुमार शर्मा,
सदस्य, राज्य सभा,
53, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली -110011

78. श्री के० एल० एन० प्रसाद,
सदस्य, राज्य सभा,
11, जनपथ,
नई दिल्ली

79. श्री विरधा राम फुलवारिया,
सदस्य, लोक सभा,
170, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली -110011

80. श्री छीतू भाई गामित,
सदस्य, लोक सभा,
145, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110001

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

आर० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० 14016/1/77-पी० सी० III—भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1981 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित संकल्प द्वारा योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में कृषि में प्लास्टिकस के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था । अब सरकार ने इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, पी० ओ० पेट्रोकैमिकल्स, बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा० पी० के० नारायण स्वामी को उपर्युक्त, समिति में सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

पी० वी० गुप्ता, निदेशक

(रसायन और उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० 11(1)/81-एफ० डी० ए० I—उर्वरकों के प्रतिधारण मूल्यों की पद्धति की देखरेख और उसका संचालन करने के लिए सरकार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के संकल्प सं० 166/23/77-एफ० डी० ए० 1 के माध्यम से उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ० आई० सी० सी०) गठित की थी । इस समय गठित समिति के दो सदस्यों अर्थात् डा० पी० के० नारायणास्वामी और श्री पाल पोदन का कार्यकाल समाप्त हो जाने से सरकार ने निम्नलिखित दो व्यक्तियों को 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित करने का निर्णय किया है ।

1. श्री दलीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०, बम्बई ।

2. श्री एस० वेंकिटारमन का उपाध्यक्ष एवं प्रधान,
साऊदर्न पेट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० मद्रास ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एम० केलकर, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 1981

सं० ए० 44018/104/80-खान—6—यह एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 1 जनवरी, 1982 से नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को भारतीय खान ब्यूरो के कार्यालय में महानियंत्रक के रूप में पदनामित किया जाएगा ।

आई० जी० झिंगरन, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1982

सं. 1/4/80-सी. टी. ई.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, राज्यमंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण, नयी दिल्ली, को सोसायटी (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्), जो संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) के अन्तर्गत दिनांक 6-6-1980 से दो वर्ष के लिए पुनर्गठित की गई है और समरूपांकीय राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13-6-1980 तथा 18-11-1981 द्वारा अधिसूचित की गयी है, का सदस्य मनोनीत किया है।

जी. एस. सिद्धू
सचिव, सी.एस.आई.आर.
के कार्यों के लिए विज्ञान और
प्रौद्योगिकी विभाग तथा महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान
परिषद्

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी 1982

संकल्प

सं. एफ. 11-18/81-स्कूल-4—भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम शुरू किया है। विकेन्द्रीकृत आधार पर समीक्षा आरंभ की जा रही है। कक्षा 1—XII के लिए सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा शुरू की जायेगी। तथापि, शुरू में मूल्यांकन इतिहास तथा भाषा की पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित रहेगा।

2. भारत सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति स्थापित करने का निर्णय किया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य मूल्यांकन दलों/राष्ट्रीय शैक्षिक-अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करेगी, कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा भावी कार्रवाई के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं का उल्लेख करेगी।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) राज्य मूल्यांकन दलों/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करना, तथा जहां आवश्यक समझा जाए, वहां ऐसे मूल्यांकन को प्रत्यक्ष रूप से शुरू करना।

(2) राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।

(3) भावी कार्रवाई के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं का उल्लेख करना।

4. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

(1) प्रो. रविन्दर कुमार,
निदेशक,
नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय,
नई दिल्ली।

सदस्य

(2) डा. जी. एस. धवा,
प्रधानाचार्य,
श्री गुरू तेग बहादुर,
खालसा कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007।

(2) डा. जे. एस. ग्रेवाल,

(3) डा. जे. एस. ग्रेवाल
कुलपति,
गुरू नानक देव विश्वविद्यालय,
अमृतसर।

(4) प्रो. जार्ज एम. मोरेस
निदेशक,
ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान,
9, न्यू मेराइन लाइन्स,
बम्बई-400020।

(5) प्रो. एन. संजीवी
तमिल विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास।

(6) डा. कमर रईस
उर्दू विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007।

(7) डा. टी. के. रविन्द्रन
प्रोफेसर (इतिहास),
केरल विश्वविद्यालय,
त्रिवेन्द्रम।

(8) प्रो. शान्तिमय राय
सदस्य,
राष्ट्रीय एकता परिषद की शिक्षा उप-समिति,
52, गार्फा मेन रोड,
कलकत्ता-700015।

(9) डा. आर. के. कौशिक
प्रधानाचार्य,
आत्माराम सनातन धर्म कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
धौला कुआं,
नई दिल्ली।

संयोजक

(10) डा. एस. के. मित्रा
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा
प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली।

5. समिति अपनी कार्य-पद्धति निर्धारित करेगी। यह राज्य मूल्यांकन दलों/रा. शै. अ. प्र. प. आदि से ऐसी सूचना उसी रूप में तथा उसी ढंग से, जिसमें यह उचित समझेगी, मांग सकती है जिसे यह अपने प्रयोजनार्थ आवश्यक या उपयुक्त समझेगी।

6. समिति अपना कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रधान मंत्री का कार्यालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. सत्यम, संयुक्त सचिव

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1981

संकल्प

सं० एफ० 7-12/81-सी० एच०-I—संकल्प संख्या एफ 7-24/79-सी० एच०-, दिनांक 26-9-79 के पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की सलाहकार समिति को और अधिक प्रभाव शाली बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की सलाहकार समिति का तत्काल से निम्नलिखित रूप से सहर्ष पुनर्गठन करते हैं :—

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की सलाहकार समिति

1. श्रीमती पुपुल जयाकर, — अध्यक्ष
11, सफदरजंग रोड,
नई दिल्ली ।

2. मुख्य सचिव, — सदस्य
मध्य प्रदेश, सरकार,
भोपाल ।

3. शिक्षा सचिव/अपर सचिव/ — सदस्य
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली ।

4. शिक्षा सचिव/सचिव, आदिवासी कार्य, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल । — सदस्य

5. डा० सुरजीत सिन्हा, सामाजिक मानविकी विज्ञान के प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता । — सदस्य

6. डा० के० एस० सिंह, कमरा नं० 6, सर्किट हाउस, गार्डिनर रोड, पटना । — सदस्य

7. प्रोफेसर, साखू चौधरी, डी-45, पश्चिमी निजामुद्दीन, नई दिल्ली । — सदस्य

8. प्रोफेसर, हाकू शाह, 16-नेमनाथ सोसायटी, नारायण नगर रोड, पलाडी, अहमदाबाद-7 — सदस्य

9. वित्तीय सलाहकार अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली । — सदस्य

10. विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल । — (सदस्य-सचिव)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

धीरेन्द्र नारायण सक्सेना
उप शिक्षा सलाहकार

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० 1-41/80-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—इस मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1981 तथा 4 दिसम्बर, 1981 के संकल्प संख्या 1-41/80-सी० एस० डब्ल्यू० बी० के अनुभाग में भारत सरकार श्रीमती लहूसी हरालू, अध्यक्षा नागालैण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को नागालैण्ड राज्य के प्रतिनिधि के रूप में तथा श्री बी० पी० मरवाह समाज कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव को श्री मधुसूदन दयाल, संयुक्त सचिव के स्थान पर उस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय का सदस्य तत्काल नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय ।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर ।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
15. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 19 जनवरी 1982

संकल्प

सं. 1-41/80-सी. एस. डब्ल्यू. बी.—इस मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1981, 4 दिसम्बर, 1981 तथा 28 दिसम्बर, 1981 के संकल्पों संख्या 1-41/80-सी. एस. डब्ल्यू. बी. के अनुक्रम भारत सरकार श्रीमती विद्याबेन मेहता, सचिव, ज्योति संघ, रिलीफ रोड, अहमदाबाद को गुजरात राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय का सदस्य तत्काल नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य-विभाग, नई दिल्ली।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी. पी. मरवाह
संयुक्त सचिव

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० एम० 25011/14/81-आर० एम०ई०—भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार की नीति के बारे में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है । समिति का गठन, विचारणीय विषय आदि निम्नलिखित होंगे :—

1	सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सलाहकार (ग्रामीण विकास) योजना आयोग	सदस्य
3.	अपर सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य
4.	शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
5.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, श्रम मंत्रालय	सदस्य
6.	अपर सचिव, बैंकिंग विभाग	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ।	सदस्य
9.	डा० आर० लाल, प्रोफेसर (अर्थ शास्त्र) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर ।	सदस्य
10.	सचिव, श्रम तथा रोजगार, गुजरात सरकार	सदस्य
11.	सचिव, ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र सरकार ।	सदस्य
12.	सचिव, वन तथा ग्रामीण विकास, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
13.	सचिव, ग्रामीण विकास, नागालैण्ड सरकार	सदस्य
14.	सचिव, ग्रामीण विकास तथा सहकारिता, कर्नाटक सरकार	सदस्य
15	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पंचायती राज, बिहार सरकार	सदस्य
16	संयुक्त सचिव (ग्रा० रो०) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	सदस्य सचिव

2. इस समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों/संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों का अध्ययन करना ;
2. ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु विकसित आधारभूत ढांचों की जांच करना ;
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति को तेज करने के उद्देश्य से विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना;
4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों में नियमित रूप से वृद्धि करने के लिए उपयुक्त आधारभूत सहायता पद्धति का सुझाव देना; तथा
5. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अपनाए जाने हेतु ग्रामीण रोजगार के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करना ।

3. अध्यक्ष को समिति के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सुविज्ञों तथा विशेषज्ञों को सहयोजित करने तथा उनसे परामर्श करने का अधिकार होगा ।

4. समिति उपयुक्त विचारणीय विषयों के बारे में विशिष्ट सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट 6 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

5. गैर-सरकारी सदस्य तथा आमंत्रित व्यक्ति, समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के लिए पात्र होंगे ।

आदेश

(1) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

(2) यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आप सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

महाराज कृष्ण काव
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/80-40/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 4-7-1981 के संकल्प सं० हिन्दी /समिति/80/40/1 के क्रम में श्री दीनानाथ झा, शास्त्री, सम्पादक "इंडियन नेशनल, पटना को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी शब्दावली समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है ।

इनके सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 16-4-1980 के समसंख्यक संकल्प में उल्लिखित हैं ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये । यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

दिनांक 18 जनवरी 1982

संकल्प

सं. हिन्दी/समिति/80/38/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 24-11-81 के संकल्प सं. हिन्दी/समिति/80/38/1 के क्रम में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जाता है :—

1. डा. शैलेष बिहारीलाल,
   आर.-192, ग्रेटर कैलाश-1,
   नयी दिल्ली।

इस सदस्य के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 24-11-81 के संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

हिम्मत सिंह
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
पदेन संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 1981

संकल्प

सं० 13012/2/80-पी० एल०—इस समय देश में 12 ग्रामीण आवास विंग बंगलौर, चंडीगढ़, हावड़ा, दिल्ली, वाराणसी, बल्लभ विद्यानगर, श्रीनगर, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम, शिमला, रांची और मद्रास में स्थित है। भारत सरकार कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के और अधिक ग्रामीण आवास विंग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। यह निर्णय किया गया है कि गोहाटी असम में तत्काल एक ग्रामीण आवास विंग की स्थापना की जाए।

2. यह ग्रामीण आवास विंग राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन कार्य करेगा जो कि उन्हें अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगा।

3. विंग का प्रधान एक निदेशक (अंश कालिक आधार पर) होगा जिसकी साधारणतया सहायता प्रभारी अधिकारी तथा अन्य तकनीकी और सहायक कर्मचारी करेंगे। विंग के कर्मचारियों पर उस संस्थान (विभाग) की सेवा शर्तें लागू होंगी जिसके साथ विंग सम्बद्ध होगा।

4. ग्रामीण आवास विंग के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) अनुसंधान और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग तथा निर्माण तकनीकियों और ग्रामीण मकानों के डिजाइनों को प्रोत्साहन देगा।

(2) सुधार-युक्त सामग्रियों और तकनीकियों का प्रचार करना।

(3) चयनित ग्रामों में पर्यावरणीय सुधारों सहित प्रदर्शनी मकानों के समूहों का निर्माण करना।

(4) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत योजना तथा परियोजना में लगे तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित और अनुकूल बनाना।

(5) समय-समय पर लिए गए निर्णय-अनुसार ग्रामीण आवास से संबंधित किसी भी गतिविधि को आरंभ करना।

5. ग्रामीण आवास विंग असम राजकीय आवास बोर्ड, चांदमरी, गोहाटी-3 से सम्बद्ध होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

(1) निदेशक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, नई दिल्ली (25 अतिरिक्त प्रतियां)

(2) सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।

(3) मुख्य सचिव, असम सरकार, गोहाटी।

(4) आयुक्त, असम राजकीय आवास बोर्ड, चांदमारी, गोहाटी-3।

एल० एम० मनेजीज, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1981

सं० यू० 11016/1/80-बी० एल० (वाल्यूम-II)—ऐसी समिति की आवश्यकता के अनुसरण में, जो श्रमिकों के ऐसे वर्गों की देखरेख करेगी, जिनके बारे में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्तरीय बैठकों/सम्मेलनों/फोरमों आदि में बार-बार जोर दिया गया है, यह निर्णय किया गया है कि "बंधुआ, प्रवासी और नैमित्तिक श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति" गठित की जाए जिसके अध्यक्ष श्रम राज्य मंत्री होंगे तथा जिसका गठन निम्नलिखित होगा :—

अध्यक्ष
श्रम राज्य मंत्री
सदस्य

(क) केन्द्रीय सरकार

1. श्री एस० वेंकटरमानी, महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम मंत्रालय।
2. श्री ईश्वरी प्रसाद, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय
3. श्रीमती गिरिजा ईश्वरन, वित्त सलाहकार, श्रम मंत्रालय।
4. डा० भूपिन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव (टी० डी०), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. श्री पी० सी० कृष्णन, संयुक्त सचिव, (एस० सी०, बी० सी० डी०), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. श्री दिनेश चन्द्र, निदेशक, बैंकिंग डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. श्री जे० सी० जेतली, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. श्री बी० के० शर्मा, संयुक्त सचिव (आर० ई०),
ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

9. श्री ए० वी० आर० चार,
सलाहकार, (आई० ई० एम०), योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

10. श्री ए० जोहरी,
निदेशक स्थापना, रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
नई दिल्ली ।

11. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम,
निदेशक (नगर विकास), आवास और निर्माण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

12. श्री एच० एस० शाह,
सचिव, पी० एंड टी० बोर्ड, डाक तार भवन,
नई दिल्ली ।

13. श्री सी० वी० नारायणन,
संयुक्त सचिव, (ई०) रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

(ख) राज्य सरकारें

14. श्रम सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।

15. श्रम सचिव, बिहार सरकार, पटना ।

16. श्रम सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

17. श्रम सचिव, गुजरात सरकार, गांधीनगर ।

18. श्रम सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला,

19. श्रम सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ ।

20. श्रम सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ।

21. श्रम सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।

22. श्रम सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।

23. श्रम सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

24. श्रम सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।

25. श्रम सचिव, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।

26. श्रम सचिव, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

27. श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश, सरकार, लखनऊ ।

28. श्रम सचिव, जम्मू और काश्मीर सरकार,
जम्मू (तावी)

(ग) गैर-सरकारी सदस्य

29. श्री बी० एस० विजयराघवन,
संसद सदस्य (लोक सभा) ।

30. श्री बिंदीश्वरी दूबे,
लोक सभा सदस्य ।

31. श्री असरू बोस,
परनश्रीपल्ली, केन्द्रीय सरकार क्वाटर्स ब्लाक 32,
फ्लट-199, कलकत्ता ।

32. श्री विमल महरोत्रा, एम० ए० (इको०) बी० एस० सी०,
एल० एल०बी०, सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
(आई), 25(बी०), सर्वोदय नगर,
कानपुर—208005 ।

33. श्री राममूर्ति
मार्फत जय प्रजा भवन, बाघमपत,
हैदराबाद-16 ।

34. श्री आर० एम० दूजोदवाला,
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दूजोदवाला इंडस्ट्रीज,
812/815, तूलियानी चैम्बर्स, 212, नारीमन पाइंट,
बम्बई-400021 ।

35. सचिव,
आल इंडिया ओरगेनाइजेशन आफ इम्पलायर्ज,
फैडरेशन हाउस, नई दिल्ली ।

36. सरदार अमरजीत सिंह,
वाइस प्रैजीडेंट, बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया,
मार्फत इम्पलायर्स फैडरेशन आफ इंडिया,
आर्मी एंड नेवी बिल्डिंग,
148 एम० जी० रोड़,
बम्बई-400023 ।

37. सचिव,
स्टैंडिंग कान्फ्रैंस आफ पब्लिक इंटरप्राइजिज,
चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली ।

38. श्री दामोदर पाण्डे,
सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०
मार्फत राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ,
सेंट्रल कोल फील्ड रीजनल कमेटी,
डाकघर रामगढ़ कैंट,
जिला : हजारीबाग (बिहार) ।

39. श्री ओ० पी० शर्मा,
चेयरमन,
डिस्ट्रीक्ट आई० एन० टी० यू० सी० कौंसिल,
11/7, नार्थ टी० टी० नगर, भोपाल,
मध्य प्रदेश ।

40. श्री टीकाराम माझी, एम० एल० ए०,
डिमना रोड़, डाकघर मोगा,
जमशेदपुर—831003 ।

41. श्री राज कृष्णन भक्त,
सचिव, बी० एम० एस०,
24, विठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग,
नई दिल्ली—110001 ।

42. श्री जगजीत सिंह, लायलपुरी,
प्रैजीडेंट, पंजाब स्टेट कमेटी आफ सी० आई०टी० यू०,
833/3, कृष्णानगर, लुधियाना ।

43. श्रीमती मधुलिका सिंह, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता,
आर० के० आई०—94, भारतीय उर्वरक निगम लि०,
सिंदरी, धनबाद (बिहार) ।

44. श्री नरेन्द्र रावल,
मार्फत श्री योगेन्द्र मकवाला,
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री,
11, रेस कोर्स रोड़,
नई दिल्ली ।

45. श्री दीपक पटेल,
मार्फत : श्री योगेन्द्र मकवाना,
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री,
11, रेस कोर्स, रोड, नई दिल्ली ।

2. यह समिति बंधुआ श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और नैमित्तिक श्रमिकों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए कार्य प्रोग्रामों का समन्वय करेगी ताकि इन श्रमिकों की समस्याओं/कठिनाइयों का समाधान किया जा सके तथा प्रगति की जांच की जा सके ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एम० एम० सिंह, उप सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 1982

सं० यू०-23012/1/80-एम III—भारत सरकार ने अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को, जिसे श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के संकल्प संख्या यू०-23011/2/71-एम० तारीख 26 नवम्बर, 1973 द्वारा स्थापित किया गया था, पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि का गठन निम्नानुसार होगा :—

अध्यक्ष

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री
नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

महानिदेशक (श्रम कल्याण)
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली,

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त,
बंगलौर, कर्नाटक
(आन्ध्र प्रदेश के संबंध में)

2. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त,
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
(बिहार के संबंध में)

3. अभ्रक खान कल्याण आयुक्त,
भीलवाड़ा - 31101,
(राजस्थान) ।

नियोजक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

1. श्री एस० पी० नैथानी,
भागीदार,
नाथानी एण्ड कम्पनी,
भीलवाड़ा (राजस्थान) ।

2. कोडरमा अभ्रक खनन एसोसिएशन,
हजारीबाग (बिहार) का अध्यक्ष
(या उनका नामित व्यक्ति) ।

3. अध्यक्ष (या उनके नामित व्यक्ति)
साऊथ इण्डिया अभ्रक खान मालिक एसोसिएशन,
गुडूर (आन्ध्र प्रदेश) ।

श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. श्री गिरधारी लाल व्यास,
संसद सदस्य,
उपाध्यक्ष,

इन्टक, राजस्थान ब्रांच, गांधी मजदूर सेवेलया,
भीलवाड़ा, राजस्थान ।

2. श्री एस० एन० सहाय,
महामंत्री,
मेटलिफेरस माइन्स वर्कर्स एसोसिएशन,
डाकघर कोडरमा,
जिला हजारीबाग, (बिहार)

3. श्री सी० सी० सुबैया,
महामंत्री,

आन्ध्र प्रदेश, माइंस लेबर यूनियन नालायालम्मा स्ट्रीट,
गुडूर - 524101 (आंध्र प्रदेश) ।

2. बोर्ड किसी अन्य सदस्य को, यदि यह आवश्यक समझता है, सहयोजित भी कर सकता है । श्रम मंत्रालय के अवर सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

3. यह बोर्ड गैर-सांविधिक निकाय होगा और इसके कार्य निम्नानुसार होंगे :—

1. निधि के कार्यकलापों के संबंध में सलाह देना।

2. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के क्षेत्रीय संगठनों के कार्यकलापों की पुनरीक्षा करना और उनका समन्वय करना ; और

3. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अधीन अभ्रक खान श्रमिकों के कल्याण से संगत किसी अन्य मामलों पर विचार करना।

4. बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और यह अपनी बैठकें ऐसे स्थान पर और ऐसे अन्तरालों पर करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान की राज्य सरकारें।
2. इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग), नई दिल्ली।
3. बोर्ड के सभी सदस्य।
4. संबंधित नियोजक और श्रमिक संगठन।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम सूचना के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० वेंकेटारमाणी
संयुक्त सचिव/महानिदेशक

संकल्प

नई दिल्ली-110001' दिनांक 23 दिसम्बर, 1981

सं० डीजीईटी-13(8) 80-सी०डी०(क्यूसी):—संकल्प संख्या डीजीईटी-3 (4)/78-टी सी, दिनांक 25 अप्रल, 1978 द्वारा भारत सरकार ने प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनरीक्षा करने और प्रशिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए उपयुक्त उपचारक उपायों का सुझाव देने हेतु निम्नलिखित गठन के साथ एक प्रशिक्षण विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसका नाम कादिर समिति है :—

1. गठन

अध्यक्ष

श्री एस० ए० कादिर, भतपूर्व रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशेषज्ञ (सेवा निवृत)।

सदस्य :

1. श्री बी० जी० वार्णेय,
मुख्य प्रशिक्षण एवं जन शक्ति सलाहकार, भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली।

2. श्री एम० एस० एस० वरदन,
जनरल मो० डी० मैनेजर,
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड, बंगलौर।

3. श्री यू० पी० पंडित,
(एसोसियेशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से प्रतिनिधि),
172 जोर बाग, नई दिल्ली।

4. प्रोफेसर जी० एस० काडू,
निदेशक तकनीकी शिक्षा, महाराष्ट्र, बम्बई।

5. श्री एस० एन० गोयल,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा, (राजस्थान) जोधपुर।

6. प्रोफेसर आर० टी० देशमुख,
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि

7. श्री बी० एन० भट्टाचारजी,
विकास आयुक्त के प्रतिनिधि,
लघु उद्योग, नई दिल्ली।

8. श्री विपिन सक्सेना,
खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रतिनिधि।

9. श्री महाराज कृष्ण काव,
कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रतिनिधि।

बाद में समिति को उसके कार्यों में मदद देने हेतु निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, तमिलनाडु श्रीमती पडोलकर को सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया।

सदस्य सचिव :

10. श्री पी० एस० प्रेम
अपर निदेशक, प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय (रो० एवं प्र० नि०), नई दिल्ली।

2. सरकार को इस समिति की रिपोर्ट 25 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के अध्याय 6 में की गई सिफारिशों के सारांश और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

3. भारत सरकार समिति द्वारा किए गए कार्य के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को अपना धन्यवाद देना चाहती है।

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया गया कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० लवराज,
महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण और संयुक्त सचिव

कादिर समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश संख्या	प्रशिक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति (कादिर समिति) द्वारा की गई सिफारिश का संक्षिप्त विवरण	सरकार द्वारा लिये गये निर्णय
1	2	3
6.1.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वर्तमान ढांचे का अवश्य ही माड्यूलर प्रणाली के अनुसार पुनर्गठन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के परिशिष्ट-12 में दर्शाए गए धातु सम्बन्धी व्यवसायों, विद्युत व्यवसायों, हीट इंजन व्यवसायों, आदि जैसे व्यवसाय समूह के सम्बन्ध में लगभग एक वर्ष के लिये व्यापक आधार वाला सामान्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस बुनियादी प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को एक ऐसा ठोस आधार उपलब्ध कराना है जिस पर उन्हें और आगे विशेष ज्ञान दिये जा सके।	स्वीकृत। यह निर्णय लिया गया था कि इस के ब्यौरे उप समिति द्वारा तैयार किए जाएं।
6.1.2	जो व्यक्ति बुनियादी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, वे इनमें से कोई एक विकल्प अपना सकते हैं। (क) किसी प्रोसेसिंग या आटोमेटिक प्लांट में आपरेटर के रूप में काम करना; (ख) प्रशिक्षण संस्थानों में नौकरी पाने योग्य कौशलों में एक या दो माड्यूलों में और आगे प्रशिक्षण प्राप्त करना; (ग) विहित प्रशिक्षण माड्यूलर सिद्धांत के अनुसार उद्योग में करारबद्ध शिक्षु के रूप में काम शुरू करना; (घ) अपना उद्यम चलाना/या स्वनियोजन।	
6.1.3	भौतिक मानवीय और वित्तीय साधनों को इष्टतम बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने और समय समय पर उनका मूल्यांकन करने के लिए राज्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशासन का काम अवश्य ही प्रत्येक राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक को सौंप दिया जाना चाहिए।	सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।
6.1.4	औद्योगिक प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सबद्ध मामलों को विनियमित यथा नियंत्रित करने के लिए व्यापक वृत्तिक प्रशिक्षण कानून होना चाहिए। समिति यह सिफारिश करती है कि वर्तमान शिक्षु अधिनियम में उचित रूप से संशोधन किया जाए।	सरकार ने व्यापक वृत्तिक प्रशिक्षण कानून बनाने से सम्बन्धित सिफारिशों को स्वीकार कर लिए है। विभिन्न राज्यों को सहायता अनुदान देने
6.1.5	राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद का नाम बदल कर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन बोर्ड रख दिया जाए और इसे एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय बना दिया जाए। व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण से संबंधित केन्द्रीय शिक्षुता परिषद के सभी कार्य उक्त बोर्ड को सौंप दिए जाने चाहिए। केन्द्रीय शिक्षुतापरिषद के कार्यों को केवल स्नातक और डिप्लोमा शिक्षुता प्रशिक्षण तक सीमित कर देना चाहिए। इस क्षेत्र के मुख्य कार्य अर्थात्, पाठ्यक्रम निर्धारित करना व्यवसाय परीक्षाएं आयोजित करना, मूल्यांकन करना, प्रमाण पत्र देना आदि, पहले ही राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए जा रहे हैं। संयुक्त कार्यों के कारण इस समय जो गड़बड़ी पैदा होती है, कार्यों के प्रस्तावित स्थानान्तरण से वह दूर हो जायगी।	के लिए उन पर पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण रखने हेतु सरकार ने एक स्वतंत्र स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड, जिसके साथ राज्य बोर्ड सम्बद्ध हों, गठित करना भी स्वीकार कर लिया है। चूंकि यह एक स्वायत्त निकाय होगा, यह इस स्थिति में होगा, कि प्रशिक्षण सन्तोषजनक मानकों और स्तरों को बनाए रखने पर जोर दे सकता है तथा इनको पूरा न करने पर संस्थानों को दी गई मान्यता वापस ले सकता है और निम्न स्तर के संस्थाओं को निधि आवंटित करना भी बंद कर सकता है। यह भी कहा गया कि जो भी पटर्न निर्धारित किया जायगा उसके अनुरूप इस प्रस्तावित संगठन को केन्द्र और राज्यों से भी अनुदान प्राप्त हो सकते हैं। चूंकि यह बोर्ड शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित प्रशिक्षण के पूरे कार्यकलापों का प्रभारी होगा, अतः अलग केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् की आवश्यकता नहीं है।
6.1.6	भारत जैसे बड़े देश में निकट भविष्य में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना चुनौती पूर्ण समस्या है पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर फ्रैंग प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि जन शक्ति आयोजना, रोजगार सृजन मानवीय साधनों के विकास (तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण) और उपयोग (नियोजन) की दृष्टि से सभी प्लान स्कीमों की जांच सहित, जो काम अवश्य ही समेकित ढंग से किया जाना चाहिए और वांछित परिणाम हासिल करने के लिए गहन प्रयास किये जाने चाहिएं। ऐसा करना केवल तभी संभव हो सकता है, जब जनशक्ति आयोजन, तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अलग मंत्रालय हो। महाराष्ट्र राज्य में ऐसा ही किया गया है।	सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामला अभी भी विचाराधीन है
6.1.7	संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिल्पकारों के प्रशिक्षण को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर उसकी व्यवस्था और विकास अवश्य ही संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्यों का करना चाहिए, केन्द्र और राज्यों की विशिष्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में खर्च करना भी शामिल है।	सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामला अभी भी विचाराधीन है।

1	2	3
6.2.1	प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए उद्योग के विशेषज्ञों के साथ लगातार सम्पर्क की आवश्यकता है और अनुसंधान संस्थान के पास विख्यात विशेषज्ञ होने चाहिए । केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे स्वायत्त निकाय बनाना आवश्यक है । देश में इस प्रकार के अनुसंधान संस्थान स्वायत्त है । ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक स्थायी आभ्यान्तर आधार के अलावा, अनेक वृत्तिमूलक अस्थायी पद सृजित करने और उन्हें अनुबन्ध द्वारा निर्धारित अवधि के आधार पर भरने की आवश्यकता पड़ती है ।	स्वीकृत । तथापि, सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान को स्वायत्त निकाय में परिवर्तित किया जाए ।
6.2.2	प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान से संबंधित संस्थान को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय और विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में प्रशिक्षण संस्थापनों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ शैक्षणिक सम्बन्ध स्थापित करें। उन में सतत विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए और विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाले समान प्रकार के कार्यों का अच्छी तरह समन्वय भी होना चाहिए । केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान एवं विकास विंग को कलकत्ता में ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित करना अत्यावश्यक है, जहां पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थितियां बेहतर हों।	स्वीकृत ।
6.2.3	प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान से सम्बन्धित काम स्वयंमेव एक चुनौतीपूर्ण काम है । इसलिए केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान और विकास अनुभाग को अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वह उक्त अनुसंधान कार्य की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे सकें।	अस्वीकृत ।
6.2.4	कानपुर में बड़ा अच्छा श्रव्य-दृश्य एवं मुद्रण एकक स्थापित किया गया है । इसे स्थापित करने में यू० एन० डी० पी०/आई० एल० ओ० ने सहायता की है जिन्होंने इसे परिष्कृत उपस्कर दिए है । कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में श्रव्य-दृश्य सहायता साधनों से संबंधित अनुभाग इतना सुसज्जित नहीं है । इस अनुभाग को अवश्य ही कानपुर स्थित एकक के अनुभाग के साथ एकीकृत कर दिया जाना चाहिए । ऐसा करने से दोहरे प्रयास से बचा जा सकेगा और उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा ।	अस्वीकृत
6.2.5	प्रशिक्षण सामग्री (उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों में सहायता साधनों सहित) तैयार करते समय अधिक बल सचित्र उदाहरणों पर देना चाहिए और स्वदेशी मशीनों, उपस्करों तथा अनुभव का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए ।	स्वीकृत
6.2.6	बंगलौर स्थित फोरमन प्रशिक्षण संस्थान पर्यवेक्षी विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित करता आ रहा है । यह अधिक उचित होगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशासन के प्रभारी अधिशासी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य-क्रम फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर को सौंप दिए जाएं ।	अस्वीकृत
6.2.7	फोरमन प्रशिक्षण संस्थान के परिसर के निकट ही कर्नाटक सरकार एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित करने के लिए भवन का निर्माण पूर्ण करने वाली है । फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान को इस नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सहायता करनी चाहिए ताकि वह एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित हो सके जिससे कि उसे विभिन्न कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।	अस्वीकृत
6.2.8	प्रशिक्षण सामग्री और सहायक साधनों का शीघ्र उत्पादन तथा वितरण करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना अत्यावश्यक है ।	स्वीकृत
6.3.1	केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में माड्यूलर आधार पर सुधार किया जाना चाहिए ।	स्वीकृत
6.3.2	जहां कहीं यह सम्भव हो, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को राज्यों के प्रशिक्षण निदेशकों की सहायता करनी चाहिए ताकि अनुदेशात्मक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाया जा सके ।	पूर्व सिफारिश संख्या 6.1.5 में दी गई परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन बोर्ड और इसके राज्य स्तर के बोर्डों के गठन होने तक राज्य के प्रशिक्षण निदेशालयों के अनुदेशात्मक और व्यावहारिक प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।
6.3.3	यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों, आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों और दूसरे सभी केन्द्रीय संस्थानों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण अवश्य किया जाए।	सरकार का विचार है कि केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों और आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों का लोकहित में नियमों के अनुसार जहां कहीं स्वीकार्य हो, स्थानान्तरण किया जाना चाहिए ।

1	2	3
6.3.4	प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अपनी जानकारी अद्यतन कर लेनी चाहिए । यह इस संदर्भ में विशेषकर आवश्यक है कि शैक्षणिक और व्यावहारिक क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं ।	स्वीकृत
6.3.5	केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं के मुख्य उपभोक्ता राज्य प्राधिकारी है । इसलिये उन्हें केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन, अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों के प्रारम्भिक निर्धारण और उनके अन्तिम व्यवसाय परीक्षणों के काम में सहयोजित किया जाना चाहिए ।	स्वीकृत
6.3.6	केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों के कुछ अनुदेशात्मक कर्मचारियों के पास अपेक्षित शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं नहीं होती जिससे कि वे राज्य प्राधिकारियों और अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों में विश्वास पैदा कर सकें । चूंकि केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशात्मक कर्मचारियों का कौशल, ज्ञान और अनुभव अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों से कहीं अधिक होना चाहिए, इसलिए भर्ती नियम इस प्रकार बनाए जाएं जो यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण अधिकारियों और सहायक प्रशिक्षण अधिकारियों के पास समुचित शाखा में कम से कम पोलिटेकनिक का डिप्लोमा अवश्य हो और बाद में उन्होंने उच्च वृत्तिक प्रशिक्षण प्रणाली के अधीन उच्च कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा उद्योग में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। सहायक प्रशिक्षण अधिकारियों तथा उनसे ऊंचे अधिकारियों के पदों के लिए योग्यता से संबंधित क्षेत्र में स्नातक व्यक्तियों को तरजीह दी जानी चाहिए। धीरे-धीरे वर्तमान कर्मचारियों के स्थान पर ऐसे व्यक्ति लाए जाने चाहिए जिन्हें काफी अधिक तकनीकी ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त हो और वर्तमान कर्मचारियों को क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों में स्थानान्तरित किया जा सकता है जहां खासकर सर्वेक्षण व्यवसाय परीक्षाणों, इत्यादि का विशेष अनुभव रखने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की गई हो।	सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।
6.3.7	यह अत्यावश्यक है कि क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक को केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान का नियंत्रण प्राधिकारी बनाया जाए ताकि उनका अच्छा पर्यवेक्षण समन्वय और राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क सुनिश्चित हो सके । इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समितियों से केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रायः सर्वेक्षण भी करते रहना चाहिए ।	सरकार ने संशोधनों के साथ यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान के लिए नियन्त्रण प्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षणों या समकक्ष ओहदे के किसी अधिकारी को बनाया जाए ।
6.3.8	आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों के काम को भी अद्यतन करने की जरूरत है ।	स्वीकृत
6.4.1	कच्ची सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुदान का समय-समय पर अवश्य पुनरीक्षण की जाए, उदाहरणार्थ तीन वर्ष में एक बार, और उनका निर्धारण व्यवसाय-वार किया जाना चाहिए।	सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और निर्णय लिया है कि स्थिति की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाए उदाहरणार्थ तीन वर्ष में एक एक बार ।
6.4.2	मरम्मत , प्रतिस्थापन और निवारक तथा अधिक अनुरक्षण संबंधी कर्मचारियों के मानदण्डों को पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है । अप्रचलित और खराब मशीन औजार अवश्य ही बदल दिए जाने चाहिए और उन्हें बदलने में होने वाले खर्च का वहन केन्द्र और राज्य को 60: 40 के सामान्य अनुपात में वहन करना चाहिए ।	सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है । मामाला अभी भी विचाराधीन है ।
6.4.3	माडयूलर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को उत्पादन सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास कराए जाने चाहिए ताकि वे वास्तविक उत्पादन करने से अभ्यस्त हो जाए ।	स्वीकृत
6.4.4	हाल ही में प्रारम्भ की गई उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की कुशलता में सुधार करने का पहल प्रयास है और सभी क्षेत्रों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में इसके तेजी से विस्तार की आवश्यकता है ।	स्वीकृत ।
6.4.5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में प्रवेश प्रक्रिया निम्न प्रकार से होनी चाहिए : (i) समिति ने महसूस किया कि चयन पद्धतियों में स्थानीय कलचर के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए । (ii) जहां कहीं आवश्यक हो, चयन के लिए प्रवेश रोक, या तो न्यूनतम निर्धारित योग्यता की आम परीक्षा में लिए गए अंकों या विशेष रूप से निर्धारित की गई प्रवेश परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए ।	सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ सिफारिश को स्वीकार कर लिया है : (i) चयन पद्धतियों में स्थानीय कलचर के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए । (ii) जहां कहीं आवश्यक हो, चयन के लिए प्रवेश रोक या तो न्यूनतम निर्धारित योग्यता की आम परीक्षा में लिए गए अंकों या विशेष रूप से निर्धारित की गई प्रवेश परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए ।

1	2	3
	(iii) प्रथम रोक समाप्त हो जाने के बाद, विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त उचित रूप से डिजाइन की गई आब्जैक्टिव परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है।	(iii) उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर चयन किया जा सकता है। यदि स्थानीय निकाय कुछ विशिष्ट पहलुओं के आधार पर साक्षात्कार की विशेष आवश्यकता महसूस करता है, तो उन्हीं पहलुओं का कम महत्व के साथ साक्षात्कार में मूल्यांकन किया जा सकता है।
	(iv) सामान्यतः यह महसूस किया गया है कि ऊपर सुझाई गई परीक्षा के आधार पर चयन किया जा सकता है। यदि स्थानीय निकाय कुछ विशिष्ट पहलुओं के आधार पर साक्षात्कार की आवश्यकता महसूस करता है, तो उन्हीं पहलुओं का कम महत्व के साथ साक्षात्कार में मूल्यांकन किया जा सकता है।	(iv) परीक्षाओं के आयोजन के लिए स्थानीय निकाय का गठन किया जाना चाहिए तथा इस निकाय में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और उस स्थान के उद्योगों और श्रम संघों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए जहां पर प्रशिक्षणार्थियों को अन्त में कार्य करना पड़ता है।
	(v) परीक्षाओं के आयोजन के लिए स्थानीय निकाय का गठन किया जाना चाहिए तथा इस निकाय में राज्य सरकारों तथा उस स्थान के उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए, जहां पर शिक्षुओं को अन्त में कार्य करना पड़ता है।	
6.4.6	कुछ चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकीय विकास सेल स्थापित किए जाने चाहिए।	स्वीकृत
6.4.7	व्यवसायों और पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण 3 से 5 वर्ष के नियमित अन्तरालों में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर की जानी चाहिए।	सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा यह निर्णय लिया कि व्यवसायों तथा पाठ्यक्रमों की तीन वर्षों के अन्तरालों पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए और प्रथम पुनरीक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्गठन की प्रतीक्षा किये बगैर एक वर्ष के भीतर पूरा की जानी चाहिए।
6.4.8	प्रशिक्षण स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाने चाहिए।	स्वीकृत
	(क) कार्यशाला विज्ञान और गणना के लिए अनुदेशक अधिमान्यता कुछ व्यावहारिक अनुभव सहित पालिटेकनिक से इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी होने चाहिए।	
	(ख) ड्राइंग के लिए अनुदेशक यांत्रिक इंजीनियरी के डिप्लोमाधारी होने चाहिए, जिन्होंने अधिमान्यतः उच्च व्यवसाय प्रशिक्षण पद्धति के अन्तर्गत ड्राइंग और भारतीय मानक पढ़ने में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	
	(ग) भाषा कक्षाएं संचालित करने के लिए शिक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।	
6.4.9	प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण के काम का मूल्यांकन अवश्य ही उचित स्तर पर सरकारी तथा निजी क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो। प्रोत्साहन देने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जो समिति द्वारा किए गए वर्गीकरण पर निर्भर होने चाहिए। इस सम्बन्ध में मूल्यांकन के लिए पूर्व निर्धारित मानदण्ड होने चाहिएं।	स्वीकृत
6.4.10	सभी व्यवसायों के अनुदेशकों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिताएं आरम्भ की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाने चाहिएं।	स्वीकृत की गई और यह निर्णय लिया गया कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाए।
6.4.11	निजी संस्थाओं को संबद्ध करने के सम्बन्ध में कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए। उनका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्यों को उन पर सहायता अनुदान देने सम्बन्धी फार्मूले को लाग करना चाहिए।	सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा यह निर्णय लिया कि सहायता अनुदान फार्मूला राज्य स्तर प्राधिकरण पर छोड़ देना चाहिए।
6.4.12	अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण सहायता साधनों की जो सूची तैयार की जाए, उसकी अवश्य ही प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षा की जाए। इसकी झलक वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों में भी दी जाए।	स्वीकृत
6.4.13	समिति यह सिफारिश करती है कि (कलकत्ता, कानपुर और बंगलौर स्थित केन्द्रीय संस्थानों के घनिष्ट सहयोग से) राज्यों को भी संस्थान स्थापित करने चाहिए ताकि उन समस्याओं से निपटा जा सके विशेषकर जिनका राज्यों के ग्रामीण और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से विशेष सम्बन्ध है।	देश की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लचीलेपन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश पर विचार योजना आयोग तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के परामर्श से किया जाना चाहिए कि दोहरे प्रयास से बचा जा सके।

1	2	3
6.4.14	समिति यह सिफारिश करती है कि इंजीनियरी एसोसिएशनें, औद्योगिक प्रतिष्ठान और ट्रेड यूनियनें विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करें और जनशक्ति विकास कार्यक्रमों में उद्योग की सहायता करें । भारतीय इंजीनियरी उद्योग की एसोसिएशन ने प्रायोगिक आधार पर इस प्रकार के यूनिट ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करना स्वीकार कर लिया है, जहां उद्योगों का काफी एकीकरण है ।	स्वीकृत
6.5.1	श्रमिकों और शिक्षुओं सम्बन्धी निर्धारित अनुपात ही अवश्य ही उच्चतम सीमा माना जाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक संस्थान में लिये जाने वाले शिक्षुओं की वास्तविक संख्या क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर होनी चाहिए ।	इस बात को स्वीकार करते हुए कि श्रमिकों और शिक्षुओं सम्बन्धी निर्धारित अनुपात को अवश्य ही उच्चतम सीमा समझा चाहिए, जाना सरकार ने यह निर्णय किया है कि क्षेत्रीय आधार पर अनुपात निर्धारित करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए । यह समझा गया कि विभिन्न व्यवसायों के लिए जनशक्ति की अपेक्षा को उचित मूल्यांकन आवश्यक है ताकि प्रशिक्षण सुविधाओं एवं प्रशिक्षित जनशक्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके । चूंकि जनशक्ति आयोजना भी योजना आयोग का कार्य है, यह निर्णय लिया गया कि उस संगठन से जनशक्ति का मूल्यांकन करने तथा श्रम मंत्रालय को आवधिक रूप से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया जाए ।
6.5.2	विहित स्तर पर कम से कम 5 प्रतिशत रिक्त स्थान अवश्य ही शिक्षुओं द्वारा भरे जाने चाहिए ।	सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।
6.5.3	किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र या किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में संस्थागत बुनियादी प्रशिक्षण दिए बगैर कोई शापफ्लोर प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ।	स्वीकृत
6.5.4	वाणिज्यिक व्यवसायों में शिक्षुता सम्बन्धी कार्यक्रमों को केवल तभी जारी रखा जाए जब कि संबंधित प्रतिष्ठानों की तरफ से इसके लिए लिखित रूप में विशिष्ट मांग हो और वे इस प्रकार के शिक्षुओं को उचित अवधि के लिए प्रशिक्षणोत्तर रोजगार देना स्वीकार करें ।	स्वीकृत
6.5.5	प्रतिष्ठानों के लिए शापफ्लोर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि रिपोर्ट के परिशिष्ट 7 में सिफारिश की गई है ।	सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और यह निर्णय लिया है कि रिपोर्ट के परिशिष्ट-7 में में शापफ्लोर स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई है उस का स्वरूप अनुशंसात्मकारी होना चाहिए न कि आदेशात्मक ।
6.5.6	जैसा कि पैरा 3 9 6 म उल्लेख किया गया है, सम्बद्ध अनुदेश देने की प्रणाली की अद्यतन करने की आवश्यकता है और सम्बद्ध अनुदेश केन्द्रों के लिए होस्टल स्थापित करने की सिफारिश की जाती है ।	स्वीकृत]
6.5.7	जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करना योजना तथा जनशक्ति विभागों की जिम्मेदारी है । समिति का विचार है कि विभिन्न प्रशिक्षण संगठनों के पास जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के निर्धारण करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है । शिक्षुता के आयोजन और विकास के विचार से इसकी जिम्मेदारी जनशक्ति आयोजन से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा-निर्धारित आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं के सर्वेक्षण करने तक सीमित रखी जानी चाहिए ।	स्वीकृत
6.6.1	ग्रामीण/कबायली और ऐसे अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिएं, जहां सामाजिक परिस्थितियों सहशिक्षा के लिए अनुकूल नहीं है ।	स्वीकृत
6.6.2	सामान्यतः लड़कियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य ही लड़कों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही आयोजित किये जाने चाहिएं, परन्तु लड़कियों के लिए अलग होस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसे क्षेत्रों में, जहां लड़कियां सामाजिक परिस्थितियों के कारण सहशिक्षा में भाग नहीं ले पातीं, लड़कियों के विशेष केन्द्र अवश्य ही खोले जाने चाहिएं ।	स्वीकृत
6.6.3	(i) प्रत्येक राज्य में कम से कम दो या तीन स्थानों पर व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोले जाने चाहिएं और ऐसे केन्द्रों में मन्द बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।	स्वीकृत
	(ii) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में वाणिज्यिक आधार पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन एकक स्थापित किए जाने चाहिएं ।	स्वीकृत
	(iii) शिल्पकार तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रवेश के लिए उन विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएं, जिनकी प्रशिक्षण में अभिरुचि है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अन्यथा योग्य है ।	स्वीकृत

1	2	3
6.6.4	ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण सुविधाओं और आर्थिक तथा तकनीकी सहायक सेवा-तंत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से पहले वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति के अनुकूल बनाने और/या नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अभिकल्पित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समुचित अध्ययन करना होगा ताकि ग्रामीणों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा वे ग्रामीण प्रशिक्षण तंत्र का अंग बन सकें।	स्वीकृत सरकार का यह विचार है कि ग्रामीण विकास की बढ़ती हुई प्रमुखता को देखते हुए ग्रामीण कार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है परन्तु यह कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि उस मंत्रालय ने भी इस संबंध में कुछ कार्यक्रम तैयार किए है। इसलिए सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उन्हें लागू करने वाले अभिकरण के स्वरूप को सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच आपसी परामर्श द्वारा तय किया जाना चाहिए। सिफारिश संख्या 6.4.13 के समक्ष सरकार के निर्णय को भी देखें।
6.6.5	ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण के माड्यूलर सिद्धान्त के अनुसार किया जाना चाहिए।	

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 24th December 1981

Subject : National Level Guidance Committee for Self-employment—Membership of the

No. M-12038/1/81-LEM-EP.—In continuation of para 2 of the Planning Commission's Resolution No. M-12038|1|81-LEM-EP, dated the 8th April 1981 and Notifications of even number dated the 22nd April 1981, 12th June 1981 and 31st August 1981, the following additions/amendments may be made in the Composition of the Committee, namely :

(i) After Serial No. 21, the following may be added as Serial No. 22 :—

"Smt. Sushila Rohatgi,
Chairman, Central Social Welfare Board,
Jeevan Deep Building, Parliament Street,
New Delhi".

(ii) The existing Serial Number '22' relating to Shri A. V. R. Char, Member—Secretary of the Committee be renumbered as "23".

R. S. SAKSENA, Director (Administration)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th January 1982

No. U-13019/6/81-ANL(i).—In pursuance of this Ministry's Notification No. 71/36(2) (i) 57-ANL dated 29th June 1957, as amended from time to time, the President is pleased to reconstitute the Advisory Council associated with the Administrator, Lakshadweep for the period upto 31st March 1982 as under :—

Ex-officio Members

The Members of the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Lakshadweep

Non-official Members

1. Shri Sarachetta Kidavu Amini.
2. Shri B. G. Ali Manikfan, Minicoy.
3. Shri K. Dom Manikfan, Minicoy.
4. Shri Alivathara Jalaluddeen Kova, Androth.
5. Smt. Asarachetta Maimoonath, Kadmat.
6. Shri P. Shaik Koya, Amini.
7. Shri P. P. Hamza Kova, Kalpeni.
8. Shri Ediyakal Secthi Kova, Kiltan.
9. Shri Chakkakal Muthukoya, Chetlat.
10. Shri B. Abdul Kader, Chetlat.
11. Shri B. Sayed Buhari, Bitra.

No. U-13019/6|81-ANL.—In pursuance of this Ministry's Notification No. 1/1(2)/67-AL(i) dated 12-1-68, as amended from time to time, the President is pleased to reconstitute the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Lakshadweep, for the period upto 31st March 1982, as under :—

Ex-officio Members

(i) The Administrator, Lakshadweep.

(ii) The Member of Parliament representing the Union Territory.

Non-official Members

(i) Shri U. C. K. Thangal, Kavaratti.

(ii) Shri Melapura Chariyakova, Kavaratti.

(iii) Shri K. Nallakova Thangal, Androth.

(iv) Shri Thoopalkkal Koya, Amini.

(v) Shri Hassan Ganduvar Hassan Manikfan, Minicoy.

(vi) Shri Cheriyapura Kasmi, Agatti.

(vii) Dr. K. K. Mohammed Koya, Kalpeni.

(viii) Shri B. Amanulla, Kiltan.

Shri Cheriyapura Kasmi will also represent the interest of the Cooperative Societies.

R. C. A. JAIN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st January 1982

RESOLUTION

No. E-12015/2/79-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Commerce have decided to introduce a scheme of giving awards to authors writing original books in Hindi pertaining to the subjects coming within the purview of Ministry of Commerce. The main features of the scheme are as follows :—

1. One prize of Rs. 5,000/- and one prize of Rs. 2,500/- in cash will be given once in two years for standard original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Ministry of Commerce.

2. The objects of the scheme is to encourage authors in India to write original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Ministry of Commerce.

3. Only standard original books whether in manuscript or published, will be taken into consideration for the award of prizes.

4. The Ministry of Commerce shall have the sole right of selection of the recipients of the awards and of the formulation of the rules governing such selection.

5. The award is open to Indian authors including Editors of multi-author books where the Editor has himself contributed substantially together with an editorial preface. Both published works and manuscripts proposed to be published by its author will be accepted provided that such a work is written originally and does not infringe the copyright of any other person.

6. The authors shall be judged on the basis of the original work done by them as revealed in the books(s) manuscripts submitted by them during the past one year preceding the years of award.

7. There will be an Assessment Committee to select the best books/manuscripts suitable for the award of prizes.

8. The Secretary, Ministry of Commerce will invite applications for award of prizes from authors through a notice published in leading Newspapers in English and Hindi. The Ministry of Commerce, may, on its own, include for consideration any books for the award of the prizes.

9. The authors will be required to submit their applications and the book(s) or manuscripts, in sextuplicate, addressed to the Secretary of the Ministry of Commerce, Copies of the books/manuscripts so submitted shall not be returned to the authors.

10. If an original work entered in this award scheme has already been awarded a prize under any scheme, this fact should be clearly stated by the author in the forwarding letter to the Secretary, Ministry of Commerce.

11. Any author may submit more than one entry for the award of prize. No author shall, however, be entitled to the award of more than one prize under the scheme in any particular block of two years.

12. If there is more than one author of an awarded book/manuscript, the amount of the prize will be distributed equally amongst the co-authors.

13. The award of the prize/prizes shall be withheld by the ministry of Commerce if no book/manuscript is adjudged to qualify for the award of prize/prizes.

14. The prizes will be awarded at a function to be specially organised by the Ministry of Commerce or on any orther suitable occasion.

15. In good time prior to the presentation of awards, the Secretary of the Ministry of Commerce shall notify the award to the recipients of their selection.

General

1. The author who submits his book for being considered for the award of a prize shall not lose his copyright therein.

2. The translation of a book shall not be considered for the award of a prize.

3. If an unpublished work is selected for a prize, the prize money shall be paid only after the book has been published by the author without any assistance from the Central Government, State Government or any Instiurion or Organisation receiving aid from any of the Governments aforesaid.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and all the Ministries and Departments of the Government of India,

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JOGINDER SINGH, Directo

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 28th December 1981

RESOLUTION

No. SSI(1)-17(1)/78—In the Ministry of Industry Resolution No. SSI(I)-17(1)/78 dated the 25th June, 1981 reconstituting the Small Scale Industries Board, against the S. Nos. 77 to 80, the names of the following members may be incorporated: —

77. Shri Ajit Kumar Sharma,
Member, Rajya Sabha,
53, South Avenue,
New Delhi-110011.

78. Shri K. L. N. Prasad,
Member, Rajya Sabha,
No. 11, Janpath,
New Delhi.

79. Shri Virdha Ram Phulwariya,
Member Lok Sabha,
170, South Avenue,
New Delhi-110011.

80. Shri Chhitubhai Gamit,
Member Lok Sabha,
145, North Avenue,
New Delhi-110001.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. SRINIVASAN, Joint Secy

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

New Delhi, the 31st December 1981

RESOLUTION

No. 11(1)/81-FDA-I.—Government had constituted the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) to administer and operate the system of retention prices for fertilizers vide Ministry of Chemicals and Fertilizers Resolution No. 166/23/77-FDA-I dated the 1st December, 1977. Following the expiry of the term of two members of the Committee as presently constituted, namely Dr. P. K. Narayanaswamy and Shri Paul Pothen, the Government have decided to nominate the following two persons as members of the Fertilizer Industry Coordination Committee for the period ending 31st December, 1983 :

(1) Shri Duleep Singh, Chairman and Managing Director, Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd., Bombay.

(2) Shri S. Venkataramanan, Vice-Chairman & President, Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd., Madras.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the tate Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. KELKAR, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF PETROLEUM

New Delhi, the 31st December 1981

RESOLUTION

No. 14016/1/77-PC. III:—A National Committee on the Use of Plastics in Agriculture undef the Chairmanship of Dr. G.V.K. Rao, former Member Planning Commission was constituted by the Government of India vide Resolution published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1 dated 7th March, 1981. Government have now decided to include Dr. P. K. Narayanaswamy, Chairman & Managing Director, Indian Petrochemicals Corporation Ltd., P. O. Petrochemicals, Baroda as a Member of the above Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administration Lok Sabha and Rajya Sabha Seretarieats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. P. GUPTA, Director

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 30th December 1981

No. A-44018/104/80-MVI.—It is hereby notified that with effect from the 1st January, 1982, the 'Controller, Indian Bureau of Mines will be designated as the 'Controller General' in the Office of the Indian Bureau of Mines.

I. G. JHINGRAN, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 15th January 1982

No. 1/4/80-CTE.—It is notified for general information that the Government of India have nominated Shri C. P. N. Singh, Minister of State for Science and Technology, Electronics and Environment, New Delhi as a Member of the Society (Council of Scientific and Industrial Research) reconstituted for a period of two years with effect from 6-6-1980 for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860) and notified *vide* Gazette Notifications of even number dated 13-6-1980 and 18-11-1981.

G. S. SIDHU, Secy.
Department of Science and Technology
for CSIR Affairs and Director General,
Scientific and Industrial Research.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 14th January 1982

RESOLUTION

No. F.11-18/81-Sch.4.—Based on the recommendations of the National Integration Council, the Government of India have taken up a programme of evaluation of schools text-books from the point of view of national integration. The review is being undertaken on a decentralised basis. All school text-books for classes I-XII would be taken up for review. To begin with, however, the evaluation will be confined to history and language text-books.

2. The Government of India in the Ministry of Education and Culture (Department of Education) have decided to set up a high level steering Committee at the national level which will, among other things, consider the evaluation reports from the State Evaluation Groups/NCERT, review the progress of the programmes and indicate policy guidelines for future action.

3. The terms of reference of the Committee would be as under :—

(i) To consider the evaluation reports from the State Evaluation Groups/NCERT; and, where considered necessary, to commission or undertake such evaluation directly.

(ii) To review the progress of the programme of evaluation of text books from the stand point of national integration.

(iii) to indicate policy guidelines for future action.

4. The Committee shall consist of the following :—

CHAIRMAN

(i) Prof. Ravinder Kumar,
Director, Nehru Memorial Museum
& Library, New Delhi.

MEMBERS

(ii) Dr. G. S. Randhawa,
Principal,
Sri Guru Tegh Bahadur,
Khalsa College,
University of Delhi,
Delhi-110007.

(iii) Dr. J. S. Grewal,
Vice-Chancellor,
Guru Nanak Dev University,
Amritsar.

(iv) Prof. George M. Moraes,
Director,
Institute of Historical Research,
9, New Marine Lines,
Bombay-400020.

(v) Prof. N. Sanjeevi,
Department of Tamil,
University of Madras, Madras.

(vi) Dr. Qamar Rais,
Department of Urdu,
University of Delhi,
Delhi-110007.

(vii) Dr. T. K. Ravindran,
Prof. of History,
University of Kerala,
Trivandrum.

(viii) Prof. Santimay Roy,
Member, Education Sub-Committee
of National Integration Council,
52, Gerfa Main Road,
Calcutta-700015.

(ix) Dr. R. K. Kaushik,
Principal,
Atma Ram Sanathan Dharam College,
University of Delhi, Dhaula Kaun,
New Delhi.

CONVENOR

(x) Dr. S. K. Mitra,
Director,
NCERT, New Delhi.

5. The Committee shall determine its own procedure. It may call for such information from State Evaluation Groups/NCERT etc. as it considers necessary or relevant for its purpose, in such form and such manner as it may think appropriate.

6. The Committee shall endeavour to complete its work as early as possible.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administration, all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, and National Council of Educational Research and Training.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 21st November 1981

RESOLUTION

No. F. 7-12/81-CH. I:—In exercise of the powers conferred by para 4 of Resolution No. F. 7-24/79 -CH. I dated 26-9-79 and with a view to making the Advisory Committee of the National Museum of Man, Bhopal more effective, the President is pleased to reconstitute the Advisory Committee for the National Museum of Man, Bhopal, as follows with immediate effect :—

Advisory Committee for the National Museum of Man

1. Smt. Pupul Jayakar —Chairman
11, Safdarjang Road,
New Delhi.

2. Chief Secretary, —Member
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

3. Education Secretary/ —Member
Additional Secretary/
Joint Educational Adviser,
Ministry of Education and Culture,
New Delhi.

4. Education Secretary/ Secretary, Tribal Affairs, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. – Member
5. Dr. Surajit Sinha, Prof. of Social Anthropology, Centre for Studies in Social Science, Calcutta. Member
6. Dr. K. S. Singh, Room No. 6, Circuit House, Gardener Road, Patna.
7. Prof. Sankho Chaudhury, B-45, Nizamuddin West, New Delhi. – Member
8. Prof. Haku Shah, 16-Nemnath Society, Narayan Nagar Road, Paladi, Ahmedabad-7. - Member
9. Financial Adviser or his nominee, Department of Culture, New Delhi. –Member
10. Officer on Special Duty, National Museum of Man, Bhopal. -- Member

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Officer on Special Duty, National Museum of Man, Bhopal.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. N. SAKSENA, Deputy Educational Adviser

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 28th December 1981

RESOLUTION

No. 1-41/80-CSWB:– In continuation of this Ministry's Resolutions No. 1-41/80-CSWB dated 28th August, 1981 and 4 December 1981, the Government of India is pleased to nominate Smt. Lhusi Haralu, Chairman, Nagaland State Social Welfare Advisory Board as representative of the Nagaland State and Shri V. P. Marwah, Joint Secretary in the Ministry of Social Welfare was representative of that Ministry of vice Shri M. S. Dayal, Joint Secretary, on the General Body of the Central Social Welfare Board, with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to:–

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister s Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director Central Social Welfare Board. New Delhi
15. All Chairman State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for Ggeneral information.

The 19th January 1982

RESOLUTION

F. No. 1-41/80-CSWB.—In continuation of this Ministry's Resolutions No. 1-41/80-CSWB, dated 28th August 1981, 4th December 1981 and 28th December 1981, the Government of India is pleased to nominate Smt. Vidyaben Mehta, Secretary, Jyoti Sang, Relief Road, Ahmedabad as representative of India is pleased to nominate Smt. Vidyaben Mehta, Secre- Social Welfare Board, with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. Department of Company Affairs, New Delhi.
11. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. . MARWAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 28th December 1981

Resolution Regarding Construction of a Committee on the Strategy for full Employment in Rural Areas

RESOLULION

No. M-25011/14/81-R: –NoThe Government of India have decided to constitute a committee on the 'Strategy for for Full Employment in Rural Areas'. The constitution, terms of reference etc. of the committee will be as follows :—

1. Secretary, Government of India, Ministry of Rural Reconstruction. Chairman
2. Adviser (Rural Development), Planning Commission. Member
3. Additional Secretary, Ministry of Labour. Member
4. Education Adviser (Technical), Ministry of Education and Culture. Member
5. Development Commissioner, Small Scale Industries, Ministry of Industry. Member
6. Additional Secretary, Department of Banking. Member
7. Executive Director, Reserve Bank of India. Member
8. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries. Commission, Bombay. Member

9. Dr. R. Lall, Professor (Economics), Regional Institute of Technology, Jamshedpur. — Member

10. Secretary, Labour and Employment, Government of Gujarat. — Member

11. Secretary, Rural Development, Government of Maharashtra. — Member

12. Secretary, Forest & Rural Development, Government of Andhra Pradesh. — Member

13. Secretary, Rural Development, Government of Nagaland. — Member

14. Secretary, Rural Development and Cooperation, Government of Karnataka. — Member

15. Commissioner-cum-Secretary, Rural Reconstruction and Panchayati Raj, Government of Bihar. — Member

16. Joint Secretary (RE), Ministry of Rural Reconstruction. — Member-Secretary.

2. The terms of reference of this committee will be:—

(i) to study the special programmes initiated by State Governments and other organisations/institutions for promotion of self-employment in rural areas ;

(ii) to examine the infrastructures developed for promoting rural employment ;

(iii) to evolve a comprehensive package of programme with a view to accelerating the pace of employment generation in the rural areas ;

(iv) to suggest suitable infrastructural support system for the steady growth of self-employment opportunities in the rural areas; and

(v) to recommend an appropriate policy for rural employment for adoption at the national level and the State level.

3. The Chairman will have the power to co--opt. and consult experts and specialists for fuller realisation of the objectives of the Committee.

4. The committee will submit its report alongwith specific recommendations on the glove terms of reference within six months.

5. The non-official members and invitees will be entitled to travelling and daily allowance for attending the meetings of the committee at the rates fixed by Government of India from time to time.

ORDERS

(1) ORDERD that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

(2) ORDERD also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. KAW, Joint Commissioner (Training).

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD

New Delhi, the 21st December 1981

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/40/1.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board's) resolution No. Hindi/Samiti/80/40/1 dated 4-7-81 Shri Deena Nath Jha Shastri Editor "Indian Nation" Patna is nominated as non-official member of the Railway Hindi Shabdawali Samiti constituted under the Ministry of Railways.

The other conditions concerning him will be the same as mentioned in resolution of even No. dated 16-4-80.

ORDER

ORDERD that copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's office. Cabinet Sectar., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secrtts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

ORDERD that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 18th January 1982

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/80/38/1.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board) resolution No. Hindi|Samiti|80| 38/1, dated 24-11-1981 the following non-official member is nominated as Member of the Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways :—

Dr. Shailesh Behari Lal,
R-192, Greater Kailash-1,
New Delhi.

The other conditions concerning this member will be the same as mentioned in resolution dated 24-11-81.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha anud ajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HIMMAT SINGH
Secy. Railway Board and
ex-officio Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 9th December 1981

RESOLUTION

No. N-13016/2/77-PS.—At present there are twelve Rural Housing Wings in the country situated at Bangalore, Chandigarh, New Delhi, Howrah, Varanasi, Vallabh Vidyanagar. Srinagar, Jodhpur, Trivandrum, Simla, Ranchi and Madras. The Govt of India have been considering for some time the question of setting up more such rural housing wings in different parts of the country It has now been decided to establish, with immediate effect a Rural Housing Wing at Gauhati, Assam.

2. The Rural Housing Wing will function under the control and direction of the National Buildings Organisation who will provide them financial assistance in the form of grants-in-aid.

3. The Wing will be headed by a Director (on part time basis) who will generally be assisted by Officer-in-Charge and another technical and supporting staff. The staff of the wing will be governed by the service conditions applicable to the institutions (departments) to which they are attached.

4. The function of the Rural Housing Wing will be :—

(i) To promote research and use of local building materials and construction techniques and designing of village houses.

(ii) To propogate the use of improved materials and techniques.

(iii) To construct clusters of demonstration houses alongwith Environmental Improvements in selected villages.

(iv) To train and orient the technical personnel employed on planning and execution of projects under the village housing project schemes.

(v) To carry out any other activity connected with Rural Housing as may be decided from time to time.

5. The Rural Housing Wing at Gauhati will be attached with Assam State Housing Board, Chandmari, Gauhati-3.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :—

1. Director, N.B.O. (25 spare copies), New Delhi.
2. Secretary, Planing Commission, New Delhi.
3. Chief Secretary to the Govt. of Assam, Gauhati.
4. The Commissioner, Assam State Housing Board, Chandmari, Gauhati-3.

L. M. MENEZES, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th December 1981

RESOLUTION

No. U.11016/1/80-BL(Vol. II).—In pursuance of the need for having such a Committee to take care of these categories of Labourers as has been repeatedly emphasized at various Centre/State Meetings/conferences/forums etc., it has been decided to constitute a 'Central Standing Committee on Bonded, Migrant and Central Labour' under the Chairmanship of the Minister of State for Labour, with the composition as follows :—

CHAIRMAN

Minister of State for Labour.

MEMBERS

(a) *Central Government*

1. Shri S. Venkataramani, Director General (LW), Ministry of Labour.
2. Shri Ishwari Prasad, Chief Labour Commissioner (C), Ministry of Labour.
3. Smt. Girija Eswaran, Financial Adviser, Ministry of Labour.
4. Dr. Bhupinder Singh, Joint Secretary (TD), Ministry of Home Affairs, New Delhi.
5. Shri P. S. Krishnan, Joint Secretary (SCBCD), Ministry of Home Affairs, New Delhi.
6. Shri Dinesh Chandra, Director Banking Division, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.
7. Shri J. C. Jetli, Joint Secretary, Ministry of Social Welfare, New Delhi.
8. Shri B. K. Sharma, Joint Secretary (RE), Ministry of Rural Reconstruction, New Delhi.
9. Shri A. V. R. Char, Adviser (LEM), Planning Commission, New Delhi.
10. Shri A. Johri, Director Establishment, Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi.
11. Shri P. S. A. Sundaram, Director (Urban Development), Ministry of Works & Housing, New Delhi.
12. Shri H. S. Shah, Secretary, P & T Board, Dak Tar Bhavan New Delhi.
13. Shri C. V. Narayanan, Joint Secretary (E), Ministry of Defence, New Delhi.

(b) *State Governments*

14. Labour Secretary, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
15. Labour Secretary, Government of Bihar, Patna.
16. Labour Secretary, Delhi, Administration, Delhi.
17. Labour Secretary, Government of Gujarat, Gandhinagar.
18. Labour Secretary, Government of Himachal Pradesh, Simla.
19. Labour Secretary, Government of Punjab, Chandigarh.
20. Labour Secretary, Government of Haryana, Chandigarh.
21. Labour Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
22. Labour Secretary, Government of Orissa, Bhubaneswar.
23. Labour Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.
24. Labour Secretary, Government of Karnataka, Bangalore.
25. Labour Secretary, Government of Tamil Nadu, Madras.
26. Labour Secretary, Government of Kerala, Trivandrum.
27. Labour Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
28. Labour Secretary, Government of Jammu and Kashmir, JAMMU (Tawi)

(c) *Non-official Members*

29. Shri V. S. Vijayaraghavan, Member of Parliament, (Lok Sabha).
30. Shri Bindishwari Dubey, Member of Lok Sabha.
31. Shri Asru Bose, Pernashreepelli Central Govt. Qrs., Block. 32, Flat-199, Calcutta.
32. Shri Vimal Mehrotra, M.A. (Eco), B6, LLB, Member, A.I.C.C. (I), 25(B), Sarvodava Nagar, Kanpur-208005.
33. Shri Ramamurthy, C/O Java Praja Bhawan, Beghampet, Hyderabad-16.
34. Shri R. M. Dujodwala, Chairman & Managing Director, Dujodwala Industries, 812/815, Tulaiani Chambers, 212, Nariman Point, Bombay-400021.
35. The Secretary, All India Organisation of Employers, Federation House, New Delhi.
36. Sardar Amariit Singh, Vice President, Builders' Association of India, C/o Employers Federation of India, Army and Navy Building, 148, M.G. Road, Bombay-400023.
37. The Secretary, Standing Conference of Public Enterprises, Chandralok Building, Janpath, New Delhi.
38. Shri Damodar Pandey, Secretary, INTUC, C/O Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Central Coal Field Regional Committee, P.O. Ramgarh Cantt., District Hazaribagh (Bihar).
39. Shri O. P. Sharma, Chairman, District INTUC Council, 11/7, North T.T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh.
40. Shri Tika Ram Majhi, MLA, Dimna Road, P.O. Mongo, Jamshedpur-831003.

41. Shri Raj Krishan Bhakt,
Secretary, B.M.S.,
24, Vithal Bhai Patel House,
Rafi Marg, New Delhi-110001.

42. Shri Jagjit Singh Lyallpuri,
President, Punjab State Committee of CITU,
833/3, Krishna Nagar, Ludhiana.

43. Smt. Madhulika Singh, Prominent Social Worker,
RKI-94, Fertilizer Corporation of India Ltd.,
Sindri, Dhanbad, Bihar.

44. Shri Narendra Rawal, C/o Shri Yogendra Makwana,
Minister of State for Home Affairs,
11, Race Course Road, New Delhi.

45. Shri Deepak Patel, C/o Shri Yogendra Makwana,
Minister of State for Home Affairs,
11, Race Course Road, New Delhi.

2. The Committee will coordinate action programmes to advise the State Governments and the Central Government on matters pertaining to bonded labour, migrant labour and casual labour to resolve problems/difficulties and to monitor progress.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. M. SINGH, Dy. Secy.

New Delhi, the 5th January 1982

RESOLUTION

No. U.23012/1/80.M.III.—The Government of India, have decided to reconstitute the Central Advisory Board for the Mica Mines Labour Welfare Fund, which was set up in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Resolution No. U. 23011/2/71.M.III, dated the 26th November 1973. The composition of the Central Advisory Board, Mica Mines Labour Welfare Fund will be as follows :

CHAIRMAN

Deputy Minister in the Ministry of Labour,
New Delhi.

VICE-CHAIRMAN

Director General (Labour Welfare),
Ministry of Labour,
New Delhi.

MEMBERS REPRESENTING GOVERNMENT

(i) The Mica Mines Welfare Commissioner,
Bangalore, Karnataka.
(in respect of Andhra Pradesh),

(ii) The Mica Mines Welfare Commissioner,
Allahabad (Uttar Pradesh),
(in respect of Bihar).

(iii) The Mica Mines Welfare Commissioner,
Bhilwara-311001, Rajasthan.

MEMBERS REPRESENTING EMPLOYEES' ORGANISATION

(i) Shri S. P. Nathany, Partner,
Nathany & Co., Bhilwara,
(Rajasthan).

(ii) The President (or his nominee)
of Kodarma Mica Mining Association,
Hazaribagh (Bihar).

(iii) The President (or his nominee)
South India Mica Mine Owners Association,
Gudur (Andhra Pradesh).

MEMBERS REPRESENTING WORKERS' ORGANISATIONS

(i) Shri Girdhari Lal Vyas, M.P.
Vice President,
INTUC Rajasthan Branch,
Gandhi Mazdoor Sevelaya,
Bhilwara, Rajasthan.

(ii) Shri S. N. Sahay,
General Secretary,
Metaliferrous Mines Workers Association,
P.O. Kodarma, District Hazaribagh (Bihar).

(iii) Shri C. C. Subbiah,
General Secretary,
A.P. Mica Labour Union,
Nalaialamma Street,
Gudur-524101 (AP).

2. The Board may also co-opt any other person as a member if it considers necessary. The Under Secretary in the Ministry of Labour shall function as Secretary to the Board.

3. The Board will be a non-statutory body and its functions will be :—

(i) To advise on the activities of the Fund;

(ii) To review and co-ordinate the activities of the Regional Organisations of the Mica Mines Labour Welfare Fund.

(iii) To consider any other matter relevant to the Welfareof mica mine workers under the Mica Mines Labour Welfare Fund.

4. The life of the Board will be for a period of three years and it will meet at such place and at such intervals as it may consider necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

1. The Governments Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan.
2. The Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), New Delhi.
3. All Members of the Board.
4. Employers' and Workers' Organisations concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. VENKATARAMANI
Director General (Labour Welfare)

(DGET)

New Delhi, the 23rd December 1981

RESOLUTION

No. DGET-13(8)/80-CD(QC).—By their Resolution No. DGET-3(4)/78-TC dated the 25th April, 1978, the Government of India appointed a Committee of Experts on Training known as 'Qadir Committee" to review training programmes in the Training Institutes and Industrial Establishments and suggest suitable remedial measures for improving the quality of training, with the following composition.

1. Composition

Chairman :

Shri S. A. Qadir, Ex-Director-General of Employment & Training and ILO Expert (Retired)

Members :

1. Shri B. G. Varshney, Chief Training & Manpower Adviser, Fertilizer Corporation of India, New Delhi.

2. Shri M. S. S. Varadan,
General O. D Manager,

Hindustan Machine Tools Limited,
Bangalore.

3. Shri U. P. Pandit,
(Representative from the Association of Indian Engineering Industry),
172, Jor Bagh,
New Delhi.

4. Prof. G. S. Kadu,
Director of Technical Education,
Maharashtra,
Bombay.

5. Shri S. N. Goel,
Director of Technical Education,
Rajasthan, Jodhpur.

6. Prof. R. T. Desmukh,
Representative from the Ministry of Education & Social Welfare (Deptt. of Education).

7. Shri B. N. Bhattasali,
Representative of the Development Commissioner,
Small Scale Industries,
New Delhi.

8. Shri Vipin Saksena,
Representative of Khadi & Village Industries Commissioner.

9. Shri Maharaj Krishan Kaw,
Representative of the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Rural Developmet).

Smt. Latika Padolkar, Director of Employment & Training Tamil Nadu was subsequently co-opted as a Member to assist the Committee in its functions.

Member-Secretary

10. Shri P. S. Prem,
Additional Director of Training,
Ministry of Labour (D.G. E. & T.)
New Delhi.

2. The report of the Committee was received by the Government on 25th September, 1978. A statement showing the summary of the recommendations made in Chapter-6 of the report and the decisions taken by the Government is appended.

3. The Government of India wish to express their appreciation of the work done by the Committee and to convey their thanks to the Chairman and the Mambers of the Committee.

ORDER

ORDERD that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERD also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

S. LOVERAJ,
Director General of Employment & Training and
Joint Secretary

Statement showing recommendations made by the Qadir Committee and decisions taken by the Government thereon.

No. of the recommendation	Brief description of the recommendation made by the Experts Committee on Training (Qadir Committee)	Decisions taken by the Government
1	2	3
6·1·1	The present structure of the training programmes in the Industrial Training Institutes must be reorganised on modular system. There should be broad based basic training of about one year common for a group of trades e.g. metal trades, electrical trades, heat engine trades etc. as shown in Appendix-XII of the report. The objective of this basic training would be to equip the trainees with a sound base on which further specialisation would be built.	Accepted. It was decided that the details be worked out by a sub-committee.
6·1·2	Those who complete the course of basic training successfully could opt for any one of the following :— (a) work as an operator in a processing or automatic plant; (b) undergo further training in one or two modules of employable skills in training institutes; (c) join the industry as indentured apprentice under modular concept of training as prescribed ; (d) take to entrepreneurship/or self-employment.	
6·1·3	The administration of training programme in the States must be entrusted to the Directorate of Technical Education in each State for optimisation of Physical, human and financial resources, improvement of quality of the training programmes and periodic evaluation.	No decision was taken by the Government. The matter is still under consideration.
6·1·4	There should be comprehensive vocational training law to regulate and control programmes of training and matters connected therewith in the industrial establishments and in training institutes. The Committee recommends that the present Apprenticeship Act may be suitably amended.	The Government accepted the recommendations regarding enactment of a comprehensive Vocational Training Law. The Govt. also accepted for setting up of an independent autonomous National Board with State Boards affiliated to it for exercising full financial and administrative control to allocate grants in aid to various State Governments.
6·1·5	The nomenclature of the NCTVT be changed as National Trade Certification Board and this be made an independent autonomous body. All functions of C.A.C. relating to trade apprenticeship training should be vested in it. The functions of C.A.C. be limited to deal with only graduate and diploma apprenticeship training.	Since it will be an autonomous body, it may be in a position to insist on satisfactory norms and standards of training, failing which it may withdraw recongnition of the institutes and also stop allocating funds to sub-standard institutes. It was further stated that this proposed organisation may receive grants from the Centre as well as States according to whatever pattern may be decided.
	The major functions in this area viz. prescribing syllabi conducting trade tests, evaluation, grant of certificates etc. are already being conducted by the NCTVT. The proposed transfer of functions will eliminate confusion arising out of the joint functions at present.	Since the Board will be in overall charge of the entire activities of the training including apprenticeship training programmes, there is no necessity of having separate Central Apprenticeship Council.

1	2	3
6·1·6	Providing full employnmet in the foreseable future, in a huge country like India, is a challenging problem. It demand crash programmes to be conducted on war-footing. The Committee recommends that manpower planning including screening of all plan schemes from the point of view of employment creation, human resources development (technical education & training) & utilisation (employment) must be dealt with in an integrated manner and there should be a concentrated effort to achieve the desired results. This could be possible only if there is a separate Ministry in charge of Manpower Planning, Technical Education and Training & Employment. This is what has been done in Maharashtra State.	No decision was taken by the Government. The matter is still under consideration.
6·1·7	The training of craftsman in the Institutes and industrial establishments must be administered and developed as a national programme jointly by the Centre and the State with specific responsibility for each partner which would include the sharing of expenditure by the Centre and the State in the proportion of 60 to 40 respectively.	No decision was taken by the Government. The matter is still under consideration.
6·2·1	Research in Training Technology requires constant liais on with the experts in the industry and a research institute should have esperts of repute. Considering the requirements of a Research Institute like Central Staff Training & Research Institute, it is essential to make it an autonomous body. Similar research institures are autonomous in the country. Besides a permanent core base consisting of national experts of repute, many functional temporary posts are required to be created and filled on fixed term basis by contract.	Accepted. The Government, however, did not accept that Central Staff Training & Research Institute should be converted into an autonomous body.
6 2·2	The Institute dealing with research in training technology should establish academic relations with higher institutes of learning like university and training establishment in various industrial under takings. There should be frequent exchange of thoughts and ideas and also close coordination of similar work done at different places. Shifting of Research & Development Wing at CSTARI to better environmental conditions in Calcutta is essential.	Accepted.
6·2·3	With a view to enabling the R & D Section at CSTARI to devote undivided attention on work relating to research in training technology, which is itself a challenging job, it should be relieved of other responsibilities.	Not accepted.
6·2·4	The Audio-Visual & Printing Unit at Kanpur has been well established with assistance from UNDP/ILO who have supplied sophisticated equipment. The section dealing with the audio-visual aids at the Central Staff Training & Research Institute at Calcutta is not so well equipped. It must be integrated with that of the unit at Kanpur. This will avoid duplication and ensure better utilisation of the available facilities.	Not accepted.
6·2·5	While preparing the training materials including aids in the above training institutes, emphasis must be on illustrations utilising indigenous machinery, equipment and experience to the maximum extent.	Accepted.
6·2·6	The Foremen Training Institute at Bangalore has been conducting programmes in areas relating to supervisory development. It is more appropriate to entrust the FTI, Bangalore with programmes for training of executive and supervisory staff incharge of administration of training programme.	Not accepted.
6·2·7	The State of Karnataka is about to complete the construction of building for locating a very big Industrial Training Institute adjacent to the premises of FTI. The latter should assist the new ITI in developing it as a model one, so that it could be used for demonstration to the participants of the various staff training programmes.	Not accepted.
6·2·8	Proper arrangements are essential for ensuring prompt production and distribution of training material and aids.	Accepted.

1.	2.	3.
6·3·1.	Training Programmes at the CTIs must be re-oriented on modular basis.	Accepted.
6·3·2.	The CTI staff wherever possible should assist the State Directors of Training with a view to effecting improvement of institutional and practical training programme.	The Government accepted the recommendation regarding assistance to be provided by CTIs staff to the State Directorates of Training to effect improvement in their instructional and practical training programmes till such time the National Trade Certification Board with its State level boards come into effect as contemplated in the earlier recommendation No. 6·1·5.
6·3·3.	Transfer of staff at CTI, MTI and at all other Central Institutes must be effected, if necessary in public interest.	The Govt. are of the view that the transfer of CTIs and MTIs staff should be done wherever permissible as per rules in public interest.
6·3·4.	Principal, Vice-Principal and training staff should update themselves in various fields. This is necessary specially due to continuous change of technology in academic and practical areas.	Accepted.
6·3·5.	The State authorities are the main users of the facilities available in the CTIs. They should be associated with the evaluation of the CTIs, the initial assessment of the Instructor trainees and at their final trade tests.	Accepted.
6·3·6.	Some of the instructional staff at CTIs do not possess the required academic and technical qualifications to infuse confidence in the State authorties and also Intructor trainees. As the skill and knowledge and experience of the CTI Instructinal staff have to be well above that of Instructor trainees, the recruitment rules should be so framed to ensure that the Training Officer and Assistant Training Officers possess at least a diploma from the polytechnic in the appropriate branch and have subsequent training in advanced skills under the Advanced Vocational Training system and sufficient experience in the industry. Graduates in the faculties concerned are preferable for the posts of Assistant Training Officers and above. The present staff could be replaced gradually by those who possess high enough technical aknowledge, skill and experience and the former could be transferred to Regional Directorates of Apprenticeship Training where there is a felt need for experienced staff specially with regard to survey, trade tests, etc.	No decision was taken by the Government. The matter is still under consideration.
6·3·7.	It is essential that the Regional Director of Apprenticeship Training is made controlling authority for the CTI to ensure close suprevision Co-ordination and liaison with State authorities. There should also be frequent inspections of CTIs by expert teams appointed for the purpose.	The Government accepted the recommendation with modifications that Regional Director of Apprenticeship Training or an officer of an equivalent rank be made the controlling authority for the Central Training Institute for Instructors.
6·3·8.	Performance of MTIs also needs updating.	Accepted.
6·4·1.	The training grants for raw materials and consumables must be reviewed periodically, say once in three years and they should be fixed tradewise.	The Govt. accepted the recommendation and decided that the position be reviewed periodically say once in three years.
6·4·2.	The existing norms for repairs, replacements and staff for preventive and corrective maintenance need revision. The obsolute and unserviceable machine tools must be replaced and the expenditure on such replacements should be shared be the Centre and State in the usual proportion of 60 : 40.	No decision was taken by the Government. The matter is still under consideration.
6·4·3.	During the modular scheme of training, product oriented exercises for training be undertaken so as to acclimatise the trainees to actual production.	Accepted.
6.4.4	Advanced Vocational Training System introduced recently, is the first attemp to improve the skill of the of the ITI output and needs rapid expansion in all the fields and training Institutes.	Accepted.

1.	2.	3.
6·4·5.	Admission procedure in respect of ITIs and MTIs should be as follows : (i) The Committee felt, that selection systems should be modified according to the local culture. (ii) Wherever necessary, the entry cut out for the selection would either on the basis of marks obtained in the public examination of minimum prescribed qualification or through the entry test specially designed. (iii) After the first cut out is over, then suitably designed objective tests could be conducted to suit the particular requirements. (iv) It is generally felt that on the basis of the above suggested test the selection could be made. Further if the local body feels a specific need to interview some specific aspects, only those aspects with lower weightage could be assessed in the interview. (v) The local body for conducting tests should be constituted with representatives of State Govts. and with the representatives from industries in the locality where the apprentices are ultimately supposed to work.	The Govt. accepted the recommendation with the following modifications : (i) The Selection systems should be modified according to the local culture. (ii) Wherever necessary, the entry cut out for the selection would be either on the basis of marks obtained in the public examination of minimum prescribed qualification or through the entry test. specially designed. (iii) On the basis of the above test the selection could be made. Further if the local body feels a specific need to interview some specific aspects, only those aspects with lower weightage could be assessed in the interview. (iv) The local body for conducting tests should be constituted with representatives of State Govts. and representatives from industries and labour unions in the locality where the trainees are ultimately supposed to work.
6·4·6.	Technological Development Cells should be established at a few selected ITIs.	Accepted.
6·4·7.	Trades and curriculum should be reviewed at regular interval of 3 to 5 years at State and national levels.	The Government Accepted the recommendation and decided that the trades and curricula should be reviewed at intervals of three years and first review should be completed wtihin one year without waiting for restructuring the Vocational Training Programme.
6·4·8.	For quality improvement, the adoption of norms given as under should be followed. (a) the instructors for workshop science and calculations should be diploma holders in Engineering from Polytechnics, preferably with some practical experience. (b) the Instructors for Drawing should be diploma holders in Mechanical Engineering who have preferably undergone training in reading of Drawing and Indian Standards under AVTS. (c) provision should be made for the appointment of a teacher for conducting language classes.	Accepted.
6·4·9.	Evaluation of training programmes in training institutes and industrial establishments must be by a Committee of technically competent persons at proper level from the public and private sector. There should be adequate incentives for staff depending on the grading given by the Committee, there being pre-determined criteria for evaluation.	Accepted.
6·4·10.	State level and national level skill competitions should be introduced for Instructors and trainees in all trades. Awards should be given for the first three positions in each trade.	Accepted and decided that this be done in phases.
6·4·11.	There should be strict control for affiliation of private institutes. They should be subjected to periodical evaluation. Grant-in-aid formula should be made applicable to them by States.	The Government accepted the recommendation and decided that grant-in-aid formula be left to the State level authorities.
6·4·12.	Inventory of training aids prepared by Instructors must be reviewed each year. This may be reflected in the annual performance reports.	Accepted.
6·4·13.	The Committee recommends that the States should also establish institutes in close collaboration with the Central Institutes at Calcutta, Kanpur and Bangalore in order to deal with problems particularly applicable to rural and other special areas in the States.	The Government while accepting the need for flexibility in the Training programme so as to meet the changing need of the country decided that the recommendation regarding establishment of training institutes in rural areas should be considered in consultation with the planning commission and the Ministry of Rural Reconstruction so as to avoid duplication of effort.

1.	2.	3.
6·4·14.	The Committee recommends that the Engineering Associations Industrial Houses and Trade Unions may establish Model Training Centres for specific needs and assist the industry in their manpower development programmes. The Association of Indian Engineering Industry have kindly agreed to establish such units on a pilot basis in areas where there is high enough concentration of industry.	Accepted.
6·5·1.	The prescribed ratio of apprentices to workers must be considered as ceiling but the acutal intake of apprentices in each establishment should depend on the manpower requirements in the areas.	The Government while agreeing that prescribed ratio of apprentices to workers be considered a ceiling decided that a formula should be worked out for fixing the ratio on regional basis. It was considered that a proper assessment of the requirement of manpower for various trades was necessary to ensure optimum utilisation of training facilities as well as the trained manpower. As manpower planning was one of the functions of the Planning Commission. It was decided that organisation should be requested to make assessment and to apprise the Ministry of Labour periodically.
6·5·2.	At least 50% of the vacancies at the prescribed level must be filled by apprentices.	No decision was taken by the Government. The Matter is still under consideration.
6·5·3.	Without basic institutional traning either in recognised training centre or in a recognised establishment, no shop-floor training should be implemented	Accepted.
6·5·4.	Programmes for apprenticeship in commercial trades must not be continued unless there is a specific demand in writing from the establishments concerned agreeing for post training employment of such apprentices for a reasonable period.	Accepted.
6·5·5.	Shop-floor staffing pattern for the establishments should be introduced as recommended in Appendix-VII of the report.	The Govt. accepted the recommendation and decided that the recommendation regarding Shop-floor staffing pattern as given in Appendix-VII of the report should be recommendatory in nature and not mandatory.
6·5·6.	The System of imparting related instructions needs updating as given in para 3·9·6 of the report and establishment of hostels for the related instructions centres is recommended.	Accepted.
6·5·7.	Assessment of manpower requirements is the responsibility of the Planning and Manpower departments. The Committee considers that the various training organisations does not have the required expertise to assess manpower requirements. Its responsibility should be limited to organising training programmes according to need as determined by the authorities dealing with manpower planning and to conducting surveys of training facilities available in the industrial establishments with a view to organising and developing apprenticeship programmes.	Accepted.
6·6·1.	Vocational Training Institutes for Women should be established in rural/tribal and other areas where social conditions act as deterrent to co-education.	Accepted.
6·6·2.	Generally, programmes of training for girls must be organised along with those for boys but separate hostels should be provided for the girls. In areas where social conditions have deterred girls from undertaking co-education special centres must be established for girls.	Accepted.
6·6·3.	(i) Vocational Rehabilitation Centre should be established in at least two or three places in each State and provision should be made for mentally retarded in such centres.	Accepted.
	(ii) Training-cum-production Units on a commercial basis should be set up at the Vocational Rehabilitation Centres.	Accepted.
	(iii) 3% reservation may be provided for admission under the Craftsmen and Apprenticeship Training Schemes, for those handicapped who have the aptitude and are otherwise fit to undergo the required training.	Accepted.

1.	2.	3.
6·6·4.	There is need for establishment of a national training infrastructre designed to foster the development of a net work of appropriate training facilities and economic and technical supporting services in rural areas. This will have to be done after a proper study to ascertain the feasibility of adapting existing ITIs and/or designing new ITIs for meeting the training requirements of rural people and becoming part of the rural training net work.	Accepted. The Government are of the view that with growing emphasis on rural development there was urgent need for a training programme for rural jobs but that programme should be drawn up on coordination with the Ministry of Rural Reconstruction as that Ministry also had drawn up certain programmes in this regard. The Govt. therefore, while accepting the recommendation decided that the nature of the training programmes and the agency to execute the same should be settled with mutual consultations among the Ministries concerned. The Govt. decision against recommendation No. 6·4·13 may also be seen.
6·6·5.	Rural training Programme should be organised on the modular concept of training.	

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982